हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
पवन बाई Vs गंगोत्री वगैरा दावा	
वकील फरीकैन उप० पुर्वाकुलार केरवारा स्कीम तलब होकर पत्रावली दि० 26/5/17 को पेश हो।	
26/5/17 वकील फरीकैन उप० पुर्वाकुलार केरवारा स्कीम तलब होकर दि० 5/7/17 को पेश हो।	
5/6/17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 में पेश हुई। तहसीलदार सपोटरा से केरवारा स्कीम तलब की गई। अवलोकन किया गया। वादीया एवं प्रतिवादीगण भी मुताबिक केरवारा स्कीम उक्त वादीया फाईनल डिक्री दिये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वादीया वादीया मुताबिक केरवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो।	[illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख प्राथमिक निर्णय
11/13	दावा	22.03.13	11.01.17

पानबाई पत्नि श्योनारायण जाति मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादीया

बनाम

1. गंगोत्री पत्नि प्रहलाद जातियान मीना निवासीयान बूकना तह0 सपोटरा
2. राजबाई पत्नि रामस्वरूप जिला करौली।
3. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विधालय बूकना(थड़)
4. महीलाल अध्यापक पुत्र गिर्राज मीना निवासी पहाड़पुरा तहसील सपोटरा
5. बाजारी पुत्र मोरया मीना बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली
6. रामगिलास पुत्र रामफूल मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा
7. मथुरा पुत्र तेज्या मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा
8. रामनिवास पुत्र किलाणा मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा
9. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः- श्री श्यामप्रकाश गर्ग वकील वादीया।
श्री राजाराम मीना वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 306 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा ग्राम बूकना तहसील सपोटरा मे स्थित है जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमे वादीया का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादी सं0 1 गंगोत्री का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी सं0 2 राजबाई का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी सं0 3 राजकीय प्राथमिक विधालय का हिस्सा 1/6 हैं। हम फरीकेन वादीया व प्रतिवादी सं0 1ता 3 जमीन पर शामलाती खातेदारी की हैसियत से काबिज है, हमारा मौके पर वाहमी बंटवारा हो रहा है। भूमि मे कोई निर्माण नही है। ना ही आबादी के लिए कन्वर्जन हुआ है। दिनांक 9.3.2013 को प्रतिवादी सं0 3, 4 ता 9 मौके पर आये और मेरे हिस्से की जमीन मे खड़ी सरसो की फसल को उजाड़ना शुरू कर दिया वादीया ने मना किया तो आमादा फिसाद हो गये। और कहा कि जमीन हम जबरन निर्माण करेगें। हमने कहा कि जमीन शामलाती है, कृषि भूमि है अभी कन्वर्जन भी नही हुआ है। इस पर निर्माण नही कर सकते तो प्रतिवादी सं0 3 ता 9 आमादा फिसाद हो गये। बंटवारा एवं खाते अलग अलग करने की भी मना कर दिया। प्रतिवादी सं0 1 तथा 2 ने भी बंटवारा करने की मना कर दिया। इसलिए वादीया ने उक्त आराजी का बंटवारा कर खाते एवं लगान सेपरेट कराने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीया दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 1,2 तथा 4 ता 9 ने जरिये वकील उपस्थित न्यायालय आकर अपना जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 बावजूद तामील सम्मन उपस्थित न्यायालय नही आये लिहाजा इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिय गये। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि दावा वादीया गलत एवं निराधार

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

Scanned by CamScanner

पेश किया है क्योंकि वादीया दावा मे यह कहकर आई है कि हम वादीगण ने मौके पर वाहमी बंटवारा कर रखा है और वाहमी बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त है। इसके अलावा दिनांक 8.3.2013 को तहसीलदार सपोटरा के आदेश के मुताबिक खसरा नं0 306 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा मे सरकारी विधायल का हिस्सा 1/6 ग्रामवासियों के समक्ष निशानदेही की गई जिसमे वादीया को किसी प्रकार की कोई उजरदारी नही हुई तथा ना ही प्रतिवादीगण ने जमीन पर कब्जा किया था। वादीया चतुर चालाक किस्म की औरत है। वादीया ने दावा प्रतिादीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया है। इसलिए दावा वादीया खारिज किया जावे। वादीया के वाद तथ्य एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर किता 5 तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य में वादीया पानबाई का शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई। दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीया ने जमाबंदी नकल ग्राम बूकना सम्बत् 2066-69 पेश की है। प्रतिवादीगण ने ना तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है ना ही कोई मौखिक साक्ष्य पेश किये है।

विद्वान अभिभााषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा पेश जमाबंदी नकल ग्राम बूकना तहसील सपोटरा सम्बत् 2066-69 से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी 1 ता 3 की शामलाती खातेदारी की है जिसमे वादीया का हिस्सा 1/2 स्पष्ट है और उसी अनुसार वादीया को अपने हिस्से का राजस्व रिकार्ड मे पृथक से बंटवारा कराकर खाता व लगान पृथक से कराने के हकूक प्राप्त है।

अतः दावाया वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम बूकना तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 306 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा मे वादीया को हिस्सा 1/2, प्रतिवादी सं0 1 को हिस्सा 1/6, प्रतिवादी सं0 2 को हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी सं0 3 को हिस्सा 1/6 का पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार सपोटरा को 300/- फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। तहरीर जारी हो कि फीस कमीश्नर वादीया से प्राप्त कर उभयपक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवारा बाई मीट्स एण्ड वाण्ड्स किया जाकर बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस 3 प्रति सहित बंटवारा स्कीम दिनांक 22.03.2017 को या इससे पूर्व भिजवावे। पत्रावली दिनांक 22.03.2017 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner